न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 71 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. पठाण वल्द मारू जाति मुसलमान निवासी जोरानाडा तहसील शिव जिला बाड़मेर।	**बनाम**	1.जमालखा पुत्र हसण खां 2.बसंदखा पुत्र हसण खां 3.गुलाबखां पुत्र हसणखां 4.समदखा पुत्र हसण खां 5.जीदाखा पुत्र हसण खां 6.हेदर खा पुत्र हसण खां 7.नूरा पत्नी मारू 8.हुसैन पुत्र मारू 9.अलाबक्स पुत्र मारू 10.हसण पुत्र मारू जातियान मुसलमान निवासियान जोरानाड़ा तहसील शिव जिला बाड़मेर। 11.राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार शिव।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव के राजस्व वाद संख्या 61 / 2016 बअनवान पठान बनाम जमाल वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2018।

उपस्थिति

1. वकील श्री छैलसिंह राठौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री चेतनराम सारण रेस्पोडेंट संख्या 01 से 08 व 10 की ओर से ।
3. वकील श्री स्वरूपसिंह भाटी रेस्पोडेंट संख्या 09 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 26.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट / वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया कि अपीलांट व उतरदातागण संख्या 1 से 10 के संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा जोरानाडा में खसरा संख्या 865 / 662 रकबा 75 बीघा किस्म बारानी सोयम व मौजा शिव में खेत खसरा संख्या 984 / 630 रकबा 70 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 629 रकबा 48.05 बीघा किस्म बारानी सोयम के आये हुए है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त अराजी खसरा संख्या नम्बर 865 / 622 में

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

1/5 हिस्सा अपीलांट का, 1/5 हिस्सा उतरदातागण संख्या 1 से 6 का, 1/5 हिस्सा उतरदाता संख्या 7 का, 1/5 हिस्सा उतरदाता संख्या 8 का तथा 1/5 हिस्सा उतरदाता संख्या 9 का व खसरा संख्या 984/630, 629 में 1/5 हिस्सा अपीलांट का, 1/5 हिस्सा उतरदाता संख्या 10 का, 1/5 हिस्सा उतरदाता संख्या 7 का, 1/5 हिस्सा उतरदाता संख्या 8 का तथा 1/5 हिस्सा उतरदाता संख्या 9 का खातेदारी में बनता है तथा इसी माफिक अपीलांट व उतरदातागण का अपने-अपने 1/5-1/5 हिस्से की जमीन पर काबिज है तथा काश्त करते आ रहे है।

अपीलांट व उतरदातागण के मध्य किये गये बाहमी बंटवाड़ा के माफिक कब्जा काश्त है तथा अपीलांट का परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल से बताये अनुसार कब्जा काश्त है तथा इसलिये अपीलांट परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल से बताये अनुसार मार्फत कब्जा अनुसार बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है। प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार जो विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भेजा वह मौका पर कब्जा काश्त से भिन्न प्रकार से भिजवाया गया था जिस पर अपीलांट द्वारा आपति करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जिस पर तहसीलदार शिव द्वारा आर. आई व हल्का पटवारी को विभाजन प्रस्ताव बाबत नियुक्त किया लेकिन हल्का पटवारी ने अपीलांट को मौका पर उपस्थित रहने बाबत न तो कोई लिखित में नोटिस दिया तथा न ही कोई मौखिक सूचना दी गई। मौका फर्द पर हल्का पटवारी के हस्ताक्षर के साथ किसी स्वतंत्र मौतबिरान के हस्ताक्षर नही है केवल मात्र मौका फर्द पर उतरदातागण संख्या 1 से 8 व 10 के ही हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो विभाजन किया गया है उसमें उतरदाता संख्या 8 हुसैन का टयूब वैल उतरदाता संख्या 9 अलाबक्स के हिस्से में आ रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 10 ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए दोनों ही खसरों में अपनी जमीन पास-पास में ले ली तथा अपीलांट के आने जाने के लिय कोई रास्ता नहीं रखा ताकि अपीलांट को उसके हिस्से की जमीन में आने जाने में बाधाऐं उत्पन्न हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की मंशा के विपरित पारित अपीलाधीन आलोच्य निर्णय निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया। विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया इसके बावजूद भी 26.5.2018 को डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds सिद्धान्त के आधार पर मौका कब्जा एवं रिकॉर्ड में अभिलिखित रकबे के अनुसार प्राप्त विभाजन पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विवादित दोनों खसरों 629 व 984/630 में विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलांट पक्ष द्वारा प्रथम बार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपति दर्ज कराने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाया और अंतिम डिक्री जारी की अपीलांट पक्ष का इस डिक्री में वर्णित खसरा संख्या 629 व 984/630 के संबंध में विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति है कि "अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो विभाजन किया गया है उसमें उतरदाता संख्या 08 हुसैन का टयूबवैल उतरदाता संख्या 09 अलाबक्स के हिस्से की जमीन में आ रहा है।" इस आपति की पुष्टि बाबत दिनांक 26.04.2019 को स्वयं पीठासीन अधिकारी ने आई.एल.आर. व पटवारी शिव के साथ मौका मुआयना किया। मौके पर ग्राम शिव के वादग्रस्त खसरे 629 व 984/630 क्रमशः पुश्तैनी एवं डिक्री से प्राप्त जमीन है जो मृतक मारू के वारिसानों की खातेदारी में है। विभाजन दोनों ही खसरों में 5 सहखातेदारों में प्रत्येक का निहित हिस्सा 1/5–1/5 के अनुसार बराबर–बराबर किया जाना पाया गया है। मौके पर मात्र अल्प परिवर्तन पाया गया जिसका आवश्यक संशोधन अनिवार्य होने से मौके पर ही विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार कर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप ही खसरों के बट्टा नंबर तथा उनमें पक्षकारों के नामों का अंकन कर दिया गया है, जो अग्र पृष्ठ अनुसार है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय के अंनतर्गत विभाजन प्रस्ताव में खसरा संख्या 629 व 984/630 में आंशिक संशाधन करते हुए शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। तहसीलदार शिव उपरोक्त विभाजन प्रस्तावानुसार पुख्ता तरमीम करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

…नाम -शिव प०म० शिव तह० -शिव

…80 Gatta
…a no 630,629

मौके पर विभाजन प्रस्ताव
राजस्थान टिनेंसी (सरकारी)
नियम 1955 के नियम 20
तथा 21 की पूर्णरूपेण
पालना करते हुए रकबे,
कब्जे तथा संगठित (compact),
भूमि किस्म एवं तदनुसार
लगान वितरण करते समान
रूप से सर्वोतम ढंग में
दिनांक 26-4-2019 को
अधोहस्ताक्षरकर्ता की मौजूदगी में किया गया है।

26.04.2019
प० शिव

I.L.R. Sheo
26.04.2019

26/4/2019
Camp - मौजा शिव ख० नं० 629, 630

janta.com

26/4/19
(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner